तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरीन/टी.ए./2569/2008/कोटा देवराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री खडगसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री आर.के. गुप्ता,, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक 23–11–12

प्राथीगर्ण द्वारा यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सांगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–08–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा निर्णय दिनांक 7–7–1988 से प्रार्थीगण के पूर्वज तख्तसिंह की 8.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को अधिग्रहण किये जाने का आदेश पारित किया गया था। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की, जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 9–9–1993 से स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–7–1988 को निरस्त कर प्रार्थीगण के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना नहीं माना गया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरीन/टी.ए./2569/2008/कोटा देवराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24–5–1995 से निरस्त कर दिया। किन्तु इसी दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के निर्णय दिनांक 7–7–1988 के तहत उक्त सीलिंग अधिग्रहित भूमि को सरप्लस मानकर अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया। प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर अधिग्रहित भूमि को पुनः प्रार्थीगण को दिलाये जाने की प्रार्थना की। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार उक्त प्रार्थनापत्र को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है कि जब अधिग्रहण का आदेश माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से निरस्त हो गया है तो धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थीगण को अधिग्रहित की गयी भूमि पुनः उपलब्ध करानी चाहिए। यही धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता की मंशा है। उक्त भूमि में अब प्रार्थीगण को 7–7–1988 से पूर्व के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में वर्ष 1988 के पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए उनके नाम खातेदारी दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरीन/टी.ए./2569/2008/कोटा देवराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रावधानों को पूर्णतया न समझकर निगराधीन आदेश पारित किया गया है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने 1990 आरआरडी पेज 335 एवं आरआरडी 1989 पेज 646 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किये जाने तथा प्रार्थीगण को अधिग्रहित भूमि पुनः लौटाये जाने के आदेश पारित किये जाने की दलील प्रस्तुत की। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहित की जाकर राज्य सरकार द्वारा अन्य व्यक्तियों को वर्ष 1976 में ही आवंटित कर दी गयी। प्रार्थीगण ने राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जा चुकी भूमि को आवंटियों के खाते से हटाकर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की है। किन्तु जब तक आवंटियों / खातेदारों की खातेदारी विधिसम्मत् तरीके से समाप्त की जाकर उन्हें बेदखल नहीं किया जाता तब तक प्रार्थीगण को विवादित भूमि का कब्जा दिया जाना सम्भव नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने आरआरडी 2012 पेज 625 पर उद्धरित गोपाल बनाम दाखाबाई न्यायिक दृष्टान्त का अवलम्ब लिया। इसी स्थिति के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरीन/टी.ए./2569/2008/कोटा देवराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने उभय पक्षों के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं विश्लेषण किया।

सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को निर्णीत करना उचित समझते है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों के समर्थन में प्रार्थी मणिराज द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में सहानुभूतिपूर्ण रूख अपनाते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है।

प्रस्तुत प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 7–7–1988 से प्रार्थीगण के पूर्वज तख्तसिंह की 8.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण किये जाने का आदेश पारित किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की, जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 9–9–1993 से स्वीकार करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–7–1988 को निरस्त कर प्रार्थीगण के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना नहीं माना गया। राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24–5–1995 से निरस्त कर दिया। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–9–1993

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरीन/टी.ए./2569/2008/कोटा देवराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ही अन्तिम निर्णय का रूप ले चुका है। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के पूर्वज तख्तसिंह के पास धारित भूमि सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होने से 8.32 स्टेण्डर्ड एकड भूमि को अधिक मानकर अधिग्रहण करने का जो आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 7––1988 को पारित किया गया था, वह विधिसम्मत् नहीं था। अतः धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थनापत्र रेस्टीट्यूशन का प्रस्तुत किया गया, वह विधि अनुकूल था तथा अधीनस्थ न्यायालय को कानूनन अधिग्रहित भूमि को पुनः प्रार्थीगण को उपलब्ध करानेका विधिसम्मत् आदेश पारित करना चाहिए था। विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त जो आरआरडी 2012 पेज 625 पर उद्धरित है, माननीय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय है। पूर्व में भी मण्डल की माननीय एकलपीठ ने गोपाल बनाम ओंकारलाल के प्रकरण में जो 1981 आरआरडी पेज 375 पर उद्धत है इसी प्रकार का निर्णय पारित किया था, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय वृहत्पीठ ने यशवन्तसिंह बनाम स्टेट (1990 आरआरडी पेज 355) से अमान्य कर दिया था। अतः राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त जो आरआरडी 2012 पेज 625 पर उद्धरित है, से हम सहमत नहीं है। चूंकि माननीय वृहदपीठ द्वारा पारित निर्णय का अनुसरण करने के लिए एकलपीठ बाध्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरीन/टी.ए./2569/2008/कोटा देवराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है।

माननीय राजस्व मण्डल की वृहत्पीठ ने यशवन्त सिंह बनाम स्टेट के प्रकरण में (रिवीजन नम्बर 111/कोटा/83) में अवधारित किया है (जो 1990 आरआरडी पेज 355 पर उद्धरित है–) The duty of the court when awarding restitution is not discretionary but it is imperative- The word 'may' is empowering and not discretionary. उक्त निर्णय के पैरा 16 व 23 में यह निर्णीत किया गया है– In a ceiling case, where a decree for the acquisition of surplus land stands executed and land also allotted to third party (landless persons) during pendency of an appeal against it and decree so executed is set aside on appeal, the surplus land acquired and allotted to the third party **would be restored back to the original land holder u/s 144, C.P.C.**

जहां तक विवादित आराजी का कब्जा प्रार्थीगण को दिलाये जाने का प्रश्न है उक्त निर्णय में माननीय वृहतपीठ ने यह निर्धारित किया है –

In the present case the State Govt. has transferred the land to the allottee. The alottees are representatives of the State Govt. and if any decree is passed against the State Govt. it would be deemed to pass such decree against the allottees also and such allottees are bound by the decree passed against the State Govt. and both Govt. and allottees are liable to restore possession to the petitioner in the proceedings under Sec. 144 C.P.C.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरीन/टी.ए./2569/2008/कोटा देवराज सिंह बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उक्त निर्णय से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलार्थी अधिग्रहित भूमि पुनः प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता को निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की गयी है।

परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, सांगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–8–2007 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद के न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–7–1988 के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहित भूमि को पुनः प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने तथा कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद की पत्रावली नियमानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल. गुप्ता)
सदस्य